मजदूरी संहिता, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 29)

[8 अगस्त, 2019]

मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता, 2019 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''लेखा वर्ष'' से अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(ख) ''सलाहकार बोर्ड'' से, यथास्थिति, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड या धारा 42 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''कृषि आय-कर विधि'' से कृषि आय पर कर के उद्ग्रहण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त कोई विधि अभिप्रेत है;

(घ) ''समुचित सरकार'' से—

(i) केंद्रीय सरकार के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया गया कोई स्थापन या रेल, खान, तेलक्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवा, दूर संचार का स्थापन, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई बैंककारी और बीमा कंपनी या निगम या अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केन्द्रीय लोक पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित स्वशासी निकाय, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सेक्टर उपक्रमों, समनुषंगी कंपनियों या स्वशासी निकायों के प्रयोजन के लिए ठेकेदारों के स्थापन भी हैं;

(ii) राज्य सरकार के संबंध में कोई अन्य स्थापन अभिप्रेत है;

(ङ) ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है; 2013 का 18

(च) ''ठेकेदार'' से किसी स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) किसी स्थापन के लिए ठेका श्रमिकों के माध्यम से ऐसे स्थापन को केवल माल या विनिर्माण वस्तुओं के प्रदाय से भिन्न कोई निश्चित परिणाम देने का वचन देता है; या

(ii) उस स्थापन के किसी कार्य के लिए मात्र मानव संसाधन के रूप में ठेका श्रमिक प्रदाय करता है और इसके अंतर्गत उप ठेकेदार भी है;

(छ) ''ठेका श्रमिक'' से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी स्थापन के कार्य में नियोजित किया गया या उससे संसक्त समझा जाएगा जब वह प्रधान नियोजक की जानकारी सहित या उसकी जानकारी के बिना, ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से ऐसे कार्य में या उसके संबंध में भाड़े पर लिया गया है और इसके अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार भी है किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कर्मकार (अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न) नहीं है जो—

(i) अपने स्थापन और अपने नियोजन के किसी क्रियाकलाप के लिए ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से नियोजित है और उसका नियोजन, (जिसके अंतर्गत स्थायी आधार पर विनियोजन भी है) की शर्तों के परस्पर रूप से स्वीकृत मानकों द्वारा शासित होता है; और

(ii) ऐसे नियोजन में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार कालिक वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कवच और अन्य कल्याणकारी फायदे प्राप्त करता है;

(ज) ''सहकारी सोसाइटी'' से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है; 1912 का 2

(झ) ''निगम'' से किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत हैं, किंतु इसके अंतर्गत कोई कंपनी या कोई सहकारी सोसाइटी नहीं है;

(ञ) ''प्रत्यक्ष कर'' से,—

(i)(अ) आय-कर अधिनियम, 1961 से; 1961 का 43

(आ) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964; 1964 का 7

(इ) कृषि आय-कर विधि के अधीन प्रभार्य कोई कर; और

(ii) कोई अन्य कर, जो अपनी प्रकृति या आपतन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष कर के रूप में घोषित किया जाए,

अभिप्रेत है;

1961 का 52 (ट) ''कर्मचारी'' से (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन विनियोजित किसी शिक्षु से भिन्न) कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अवक्रय या पारिश्रमिक के लिए किसी स्थापन द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल, शारीरिक, प्रचालन, पर्यवेक्षण, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य के लिए मजदूरी पर नियोजित है, चाहे उसके नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं और जिसके अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा नियोजित रूप में घोषित कोई व्यक्ति भी है किंतु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;

(ठ) ''नियोजक'' से ऐसा कोई व्यक्ति जो सीधे या किसी व्यक्ति के माध्यम से या अपनी ओर से अथवा किसी व्यक्ति की ओर से अपने स्थापन में एक या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है और जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग ऐसे स्थापन को चलाता है, ऐसे विभाग के प्रमुख द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस निमित या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां विभाग का प्रधान और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित किसी स्थापन के संबंध में उक्त प्राधिकरण का मुख्य प्राधिकारी अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत,—

1948 का 63 (i) किसी ऐसे स्थापन, जो कारखाना है, के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ढ) में यथापरिभाषित किसी कारखाने का अधिष्ठाता और, जहां उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कारखाने के प्रबंधक के रूप में कोई व्यक्ति नामित किया गया है, वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति;

(ii) ऐसे किसी अन्य स्थापन, जो व्यक्ति या प्राधिकारी है, के संबंध में जिसका स्थापन के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रहता है और जहां ऐसे मामले को किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपा गया है, ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक; और

(iii) ठेकेदार; और

(iv) किसी मृत नियोजक के विधिक प्रतिनिधि;

(ड) ''स्थापन'' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण किया जाता है या उपजीविका चलाई जाती है और जिसके अंतर्गत सरकारी स्थापन भी है;

1948 का 63 (ढ) ''कारखाना'' से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कारखाना अभिप्रेत है;

(ण) ''सरकारी स्थापन'' से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या विभाग अभिप्रेत है;

1961 का 43 (त) ''आय-कर अधिनियम'' से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है;

(थ) ''औद्योगिक विवाद'' से,—

(i) नियोजकों और नियोजकों के मध्य या नियोजक और कर्मकारों के मध्य या कर्मकारों तथा कर्मकारों के मध्य कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत हैं, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या गैर-नियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रमिकों की दशाओं से संबंधित है; और

(ii) किसी व्यष्टिक कर्मकार और नियोजक के मध्य कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो ऐसे कर्मकार के सेवोन्मुक्त पदच्युत, छंटनी या पर्यवसान से संबंधित हो या उसके कारण उत्पन्न हो;

(द) ''निरीक्षक-सह-सुकारक'' से समुचित सरकार द्वारा धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया है;

(ध) ''न्यूनतम मजदूरी'' से धारा 6 के अधीन नियत मजदूरी अभिप्रेत है;

(न) ''अधिसूचना'' से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और उसके ''अधिसूचित करने'' पद वाले व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(प) ''विहित'' से समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) ''समान कार्य या किसी वैसी ही प्रकृति के कार्य'' से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसके संबंध में अपेक्षित कौशल, प्रयास, अनुभव और उत्तरदायित्व उस समय एक समान है जब कर्मचारियों द्वारा वैसी ही कार्य दशाओं में उनको किया जाता है और किसी लिंग के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित कौशल, उद्यम और उत्तरदायित्व के मध्य अंतर यदि कोई हो नियोजन के निबंधनों और शर्तों के संबंध में व्यवहारिक महत्व के नहीं है;

(ब) ''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(भ) ''अधिकरण'' का वही अर्थ होगा, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (द) में उसका है; 1947 का 14

(म) ''मजदूरी'' से धन के रूप में अभिव्यक्त अथवा इस प्रकार अभिव्यक्त हो सकने वाले ऐसे सभी पारिश्रमिक चाहे वह वेतन, भत्तों के रूप में हो या अन्यथा अभिप्रेत है, जो यदि किसी नियोजित व्यक्ति को नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेय होता और निम्नलिखित इसके अंतर्गत आते हैं,—

(i) मूल वेतन;

(ii) महंगाई भत्ता; और

(iii) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हों;

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या किसी ऐसी सेवा का मूल्य, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित है;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो;

(घ) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृत्ति के कारण उठाने पड़े;

(च) मकान किराया भत्ता;

(छ) पक्षकारों के बीच के किसी अधिनिर्णय या समझौता अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक;

(ज) कोई अतिकाल भत्ता;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन;

(ञ) नियोजन के पर्यवसित होने पर संदेय कोई उपदान;

(ट) किसी कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या कोई अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन के पर्यवसित होने पर उसे कोई अनुग्रहपूर्वक किया गया संदाय:

परन्तु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए, यदि खंड (क) से खंड (झ) के अधीन कर्मचारी को नियोजक द्वारा किए गए संदाय, इस खंड के अधीन संगणित सभी पारिश्रमिक एक बटा दो या ऐसे अन्य प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, से अधिक है, उस रकम को, जो इस प्रकार अधिसूचित रकम के एक बटा दो प्रतिशत, से अधिक है, पारिश्रमिक के रूप में समझा जाएगा, तदनुसार इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ा जाएगा:

परन्तु यह और कि सभी लिंगों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में निर्दिष्ट उपलब्धियां मजदूरी की संगणना के लिए ली जाएंगी।

स्पष्टीकरण—जहां किसी कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा वस्तु रूप में कोई पारिश्रमिक उसको संदेय संपूर्ण मजदूरी या उसके भाग के बदले में दिया जाता है वहां वस्तु रूप में ऐसे पारिश्रमिक का मूल्य जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की मजदूरी के भाग रूप में समझी जाएगी;

1961 का 52 (य) ''कर्मकार'' से कोई ऐसा व्यक्ति [शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथापरिभाषित किसी शिक्षु को छोड़कर] अभिप्रेत है जो किसी उद्योग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षीय कार्य करने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विवक्षित हों और जिसके अंतर्गत—

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण
1955 का 45 उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कार्यरत पत्रकार; और

1976 का 11 (ii) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी और औद्योगिक विवाद के संबंध में इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत, सेवोन्मुक्त या छंटनी किया गया है अथवा अन्यथा पर्यवसित किया गया हो अथवा जिसका वह विवाद पदच्युत, सेवोन्मुक्त अथवा छंटनी का कारण बना है, भी है,

किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, जो—

1950 का 45 (क) वायु सेना अधिनियम, 1950, या सेना अधिनियम, 1950, या नौसेना अधिनियम,
1950 का 46 1957 के अधीन है; या
1957 का 62

(ख) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; या

(ग) मुख्यत: प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो; या

(घ) प्रतिमास पंद्रह हजार रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रकम से अधिक मजदूरी पाने वाला पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित हो।

3. (1) कर्मचारियों के बीच किसी स्थापन या उसकी किसी यूनिट में उसी नियोजक द्वारा मजदूरी संबंधी विषयों में लिंग के आधार पर समान कार्य या किसी कर्मचारी द्वारा वैसी ही प्रकृति के कार्य के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।

(2) कोई नियोक्ता,—

(i) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर को कम नहीं करेगा; और

(ii) समान कार्य या वैसी ही प्रकृति के कार्य के लिए किसी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव, नियोजन की दशाओं में सिवाय वहां के जहां ऐसे कार्य में स्त्रियों का नियोजन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित है।

समान या वैसी ही प्रकृति के कार्य के संबंध में विवादों का विनिश्चय।

4. जहां इस बारे में कोई विवाद है कि धारा 3 के प्रयोजनों के लिए कोई कार्य समान है या वैसी ही प्रकृति का है, वहां किसी विवाद का विनिश्चिय ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी

मजदूरी की न्यूनतम दर का संदाय।

5. नियोक्ता किसी कर्मचारी को समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की न्यूनतम दर से, कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा।

न्यूनतम मजूदरी को नियत करना।

6. (1) धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार धारा 8 के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार,—

(क) कालानुपाती काम के लिए; या

(ख) मात्रानुपाती काम के लिए।

(3) जहां कर्मचारियों को उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए मात्रानुपाती काम पर नियोजित किया जाता है, वहां समुचित सरकार, कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करेगी।

(4) कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दरों को निम्नलिखित मजदूरी कालावधियों में से किसी एक या अधिक के हिसाब से नियत किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(i) घंटे के हिसाब से; या

(ii) दिवस के हिसाब से; या

(iii) मास के हिसाब से।

(5) जहां मजदूरी की ऐसी दरों को घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से या मास के हिसाब से नियत किया जाता है, वहां मजदूरी की संगणना करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

(6) इस धारा के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार,—

(क) अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अतिकुशल प्रवर्गों के अधीन अथवा भौगोलिक क्षेत्र या दोनों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित कर्मकारों के कौशल को मुख्यत: ध्यान में रखेगा; और

(ख) कर्मकारों के कतिपय प्रवर्ग के लिए मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर के अतिरिक्त, उनके कार्य की कठिनता को, जैसे तापमान या सामान्यत: आद्रता को सहन करने, परिसंकटमय उपजीविकाएं या प्रक्रियाएं अथवा ऐसे भूमिगत कार्य, जिसे उस सरकार द्वारा विहित किया जाए, ध्यान में रख सकेगा; और

(ग) मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर नियत करने के मानदंड वे होंगे जो विहित किए जाएं।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों की संख्या, यथासंभव, समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम रखी जाएगी।

7. (1) समुचित सरकार द्वारा धारा 8 के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की कोई दर निम्नलिखित से मिलकर बन सकेगी— न्यूनतम मजदूरी के संघटक।

(क) मजदूरी की मूल दर और ऐसे कर्मकारों को लागू निर्वाह-व्यय सूचकांक में हुए फेरफार के यथासाध्य निकटतम अनुसार होने के लिए ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जो समुचित सरकार निदेश करे समायोजित की जाने वाली दर पर भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''निर्वाह व्यय भत्ता'' कहा गया है); या

(ख) निर्वाहव्यय भत्ता लागत सहित या बिना मजदूरी की मूल दर और आवश्यक वस्तुओं की रियायती दरों पर आपूर्ति के संबंध में जहां उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो रियायत का नकद मूल्य; या

(ग) ऐसी सर्व समावेशी दर जिसमें मूल दर की, निर्वाह भत्ते की और यदि कोई रियायतें दी गई हों उनके नकद मूल्य की गुंजाइश रखी गई हो।

(2) निर्वाहव्यय भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में रियायतों के नकद मूल्य की संगणना ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरालों और ऐसे निदेशों के अनुसार, जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या दिए जाएं, के अनुसार उस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

8. (1) इस संहिता के अधीन पहली बार मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करने या न्यूनतम मजदूरी की दर को पुनरीक्षित करते समय, समुचित सरकार या तो,— न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और उसकी पुनरीक्षा करने की प्रक्रिया।

(क) जांच करने और सिफारिश करने को, यथास्थिति, ऐसे नियतन या पुनरीक्षण करने के संबंध में उतनी समितियां नियुक्त करेगी जितनी वह आवश्यक समझे; या

(ख) उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए अपने प्रस्तावों को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी और अधिसूचना की तारीख से दो मास से अन्यून तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिसके प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समुचित सरकार द्‌वारा नियुक्त प्रत्येक समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी संख्या खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होगी; और

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति होंगे जो, समिति के कुल सदस्यों से एक तिहाई से अधिक नहीं हैं।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् उस धारा के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसके द्वारा प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार, यथास्थिति, अधिसूचना द्‌वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करके उन्हें नियत करेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना में अन्यथा उपबंध न किया जाए वह उसके जारी होने की तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रवृत्त होगी :

परंतु जहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति में मजदूरी की न्यूनतम दर को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है, वहां धारा 42 के अधीन गठित संबंधित सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी।

(4) समुचित सरकार, साधारणतया पांच वर्ष से अनधिक के अंतराल पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षा करेगी।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, कम से कम कर्मकार के जीवन के स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए निम्नतम मजदूरी नियत करेगी: केन्द्रीय सरकार की निम्नतम मजदूरी नियत करने की शक्ति।

परंतु भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न न्यूनतम मजदूरी नियत की जा सकेगी।

(2) धारा 6 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होगी और यदि पूर्व में समुचित सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर निम्नतम मजदूरी से अधिक है तो समुचित सरकार पूर्व में उसके द्वारा नियम ऐसी न्यूनतम मजदूरी दर में कमी नही करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निम्नतम मजदूरी नियत करने से पूर्व धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह अभिप्राप्त कर सकेगी और राज्य सरकार से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परामर्श कर सकेगी।

सामान्य कार्य दिवस से कम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी।

10. यदि कोई कर्मचारी, जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस संहिता के अधीन दिन के हिसाब से नियत की गई है किसी दिवस को जिसको वह सामान्य कार्य दिवस का गठन करने वाले अपेक्षित घंटों की संख्या से कम अवधि के लिए नियोजित किया गया था तो वह इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस दिन को किए गए कार्य के संबंध में मजदूरी प्राप्त करने का ऐसे हकदार होगा मानो उसने पूर्ण सामान्य कार्य दिवस को कार्य किया हो :

परंतु वह पूर्ण प्रसामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा,—

(i) किसी ऐसी दशा में जहां कार्य करने में उसकी असफलता, कार्य करने में उसकी अनिच्छा द्वारा कारित की गई है न कि कार्य उपलब्ध कराने में नियोक्ता द्वारा गलती के कारण; और

(ii) ऐसे अन्य मामलों और परिस्थितियों में, जो विहित की जाएं।

कार्य के दो या अधिक वर्गों के लिए मजदूरी।

11. जहां कोई कर्मचारी दो या अधिक वर्गों के कार्य करता है जिनमें से प्रत्येक के लिए मजदूरी की न्यूनतम भिन्न-भिन्न दरें लागू हैं तो नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को प्रत्येक वर्ग के ऐसे कार्य के लिए क्रमश: लगने वाले समय के लिए प्रत्येक ऐसे वर्ग के संबंध में लागू न्यूनतम दर से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा।

मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम कालानुपाती मजदूरी।

12. जहां कोई व्यक्ति ऐसे मद कार्य पर नियोजित किया गया है, जिसके लिए न्यूनतम कालानुपाती दर है और जिसके लिए इस संहिता के अधीन कालानुपाती दर नियत नहीं की गई है, नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कालानुपाती दर से अन्यून मजदूरी का संदाय करेगा।

प्रसामान्य कार्य दिवसों के लिए कार्य के घंटे नियत करना।

13. (1) जहां इस संहिता के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत की गई है, वहां समुचित सरकार—

(क) कार्य के उन घंटों की संख्या जो किसी प्रसामान्य कार्य दिवस का गठन करेंगे जिनके अंतर्गत एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतराल भी हैं नियत कर सकेगी;

(ख) सात दिनों की प्रत्येक अवधि में विश्राम के एक विश्राम दिन के लिए जो सभी कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के लिए अनुज्ञात होगा और विश्राम दिनों के संबंध में पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कर सकेगी;

(ग) विश्राम दिन को कार्य करने के लिए ऐसी दर से संदाय का उपबंध कर सकेगी जो अतिकाल की दर से कम नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, केवल ऐसे विस्तार तक और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों के संबंध में लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) किसी ऐसे आपात में जिसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकी थी या उसे निवारित नहीं किया जा सका था विनियोजित कर्मचारी;

(ख) ऐसे कर्मचारी जो तैयारी करने संबंधी या पूरक कार्य की प्रकृति वाले कार्य में विनियोजित, जिसे संबंधित नियोजन में साधारण कार्यकरण के लिए अधिकथित सीमाओं से बाहर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए;

(ग) ऐसे कर्मचारी जिनका नियोजन आवश्यक रूप से आंतरायिक हैं;

(घ) ऐसे कर्मचारी जो किसी कार्य में विनियोजित हैं जिनके लिए तकनीकी कारणों से कर्तव्य पूरा होने से पहले पूरा करना है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसे कार्य में विनियोजित हैं, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर रहने के सिवाय नहीं किया जा सकता है।

(3) कर्मचारी का नियोजन उपधारा (2) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उस दशा में आवश्यक रूप से आन्तरायिक होता है जिसमें कि उसका ऐसा होना समुचित सरकार ने इस आधार पर घोषित किया है कि कर्मचारी के कर्तव्य के दैनिक घंटों के, या यदि कर्मचारी के लिए कर्तव्य के कोई दैनिक घंटे उस रूप में नहीं हैं तो कर्तव्य के घंटों के अन्तर्गत प्रसामान्यत: निष्क्रियता की ऐसी कालावधियां आती हैं, जिनके दौरान कर्मचारी कर्तव्यारूढ़ तो हो किन्तु शारीरिक क्रिया या अविरत ध्यान के संप्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती।

अतिकाल कार्य के लिए मजदूरी।

14. जहां ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस संहिता के अधीन घंटे, दिन या ऐसी किसी दीर्घतर मजदूरी अवधि के हिसाब से, जो विहित की जाए, नियत की गई है, किसी सामान्य कार्य दिवस को गठित करने वाले घंटों की संख्या से अधिक किसी दिन को कार्य करता है, नियोजक उसे इस प्रकार अधिक किए गए कार्य के लिए प्रत्येक घंटे के लिए या घंटे के भाग के लिए ऐसी अतिकाल की दर पर जो मजदूरी की सामान्य दर से दुगुने से कम नहीं होगी, संदाय करेगा।

अध्याय 3

मजदूरी का संदाय

मजदूरी के संदाय का ढंग।

15. सभी मजदूरियां वर्तमान सिक्कों या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके या इलैक्ट्रानिक ढंग से संदत्त की जाएंगी:

परंतु समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उसके बैंक खाते में मजदूरी का केवल चैक द्वारा या मजदूरी जमा करके संदाय करेगा।

मजदूरी अवधि को नियत करना।

16. नियोक्ता कर्मचारियों के लिए मजदूरी अवधि को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी कर्मचारी के संबंध में कोई मजदूरी अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी या तो दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक आधार पर नियत करेगा:

परंतु भिन्न-भिन्न स्थापनों के लिए भिन्न-भिन्न मजदूरी अवधियां नियत की जा सकेंगी।

मजदूरी संदाय के लिए समय-सीमा।

17. (1) नियोजक निम्नलिखित में लगे हुए कर्मचारियों को मजदूरी का संदाय करेगा या संदत्त करवाएगा:—

(i) पारी के अंत में, दैनिक आधार पर;

(ii) सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को अर्थात् साप्ताहिक अवकाश से पूर्व साप्ताहिक आधार पर;

(iii) पक्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व, पाक्षिक आधार पर;

(iv) उत्तरवर्ती मास के सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व मासिक आधार पर।

(2) जहां किसी कर्मचारी—

(i) को सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत किया गया है; या

(ii) की छंटनी की गई है या उसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है या स्थापना के बंद होने के कारण बेरोजगार हो गया है,

उसे संदेय मजदूरी, यथास्थिति, उसको हटाने, पदच्युत करने, छंटनी करने या उसके त्यागपत्र के दो कार्य दिवसों के भीतर संदत्त की जाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार मजदूरियों के संदाय के लिए किसी भी अन्य समय-सीमा का वहां उपबंध कर सकेगी जहां वह उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन मजदूरी संदत्त की जानी है, ऐसा युक्तियुक्त समझती है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में मजदूरी के संदाय के लिए उपबंधित समय-सीमा को प्रभावित नहीं करेगी।

वे कटौतियां जो मजदूरी से की जा सकेंगी।

18. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी की मजदूरी से, सिवाय उन कटौतियों के जिन्हें इस संहिता के अधीन प्राधिकृत किया गया है, कोई कटौती नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता या उसके अभिकर्ता को किए गए किसी संदाय को उसकी मजदूरी से कटौती माना जाएगा;

(ख) किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी कर्मचारी को मजदूरी का कोई नुकसान,—

(i) वेतनवृद्धि या प्रोन्नति को विधारित करना, जिसके अंतर्गत किसी वेतनवृद्धि को रोकना भी है; या

(ii) किसी निम्नतर पद पर अवनत करना या समय वेतन; या

(iii) निलंबन,

उस दशा में मजदूरी में से कटौती नहीं माना जाएगा जहां नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए किए गए उपबंध इस निमित समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(2) किसी कर्मचारी की मजदूरी से कटौतियां इस संहिता के उपबंधों के अनुसरण में की जाएंगी और केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होंगी, अर्थात्:—

(क) उस पर अधिरोपित जुर्माना;

(ख) कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति के लिए कटौतियां;

(ग) कर्मचारी को अभिव्यक्त रूप से अभिरक्षा के लिए सौंपे गए मालों को हुए नुकसान या हुई हानि के लिए; या ऐसे धन की हानि के लिए कटौतियां जिसके लिए उससे हिसाब प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जहां ऐसा नुकसान या हानि उसकी असावधानी या व्यतिक्रम से प्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा का परिणाम है;

(घ) नियोजक या समुचित सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थापित आवास बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए गृहवास सुविधा के लिए कटौतियां, चाहे सरकार या ऐसा बोर्ड नियोजक है या नहीं, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जो गृहवास सुविधा को सहायिकी प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है जिसे इस निमित्त समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ङ) ऐसे नियोजक, जो समुचित सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जिसे साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत करे, प्रदान की गई ऐसी सुख-सुविधाओं और सेवाओं के लिए कटौतियां, और ऐसी कटौती ऐसी सुख-सुविधाओं तथा सेवाओं के मूल्य के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''सेवा'' पद में नियोजन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित औजारों और कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति सम्मिलित नहीं है;

(च) (i) अग्रिम, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों (जिनमें यात्रा भत्ते या सवारी भत्ते के लिए अग्रिम भी हैं) और उसके संबंध में शोध्य ब्याज, या मजदूरी के अति संदाय का समायोजन;

(ii) समुचित सरकार द्वारा विहित श्रमिक कल्याण के लिए गठित किसी निधि से लिया गया उधार और उसके संबंध में शोध्य ब्याज,

की वसूली के लिए कटौती;

(छ) समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित गृह निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिए अनुदत्त ऋणों और उसके संबंध में शोध्य ब्याज की वसूली के लिए कटौतियां;

(ज) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत ऐसा आय-कर या किसी अन्य कानूनी उद्गृहीत उद्ग्रहण और जो कर्मचारी द्वारा संदेय है, के लिए कटौतियां या किसी न्यायालय के आदेश या ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश के लिए अपेक्षित कटौतियां;

(झ) विधि द्वारा गठित किसी सामाजिक सुरक्षा निधि या स्कीम से अग्रिमों में अंशदान और पुन: संदाय के लिए कटौतियां जिसके अंतर्गत भविष्य निधि या पेंशन निधि या स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम या किसी अन्य नाम से ज्ञात निधि है;

(ञ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समुचित सरकार अधिरोपित करे किसी सहकारी सोसाइटी के संदाय के लिए कटौतियां;

(ट) कर्मचारी के लिखित प्राधिकार से फीस के संदाय के लिए और उसके द्वारा व्यवसाय
1926 का 16 संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए उसके द्वारा संदेय फीस के लिए कटौतियां;

(ठ) कूटकृत या खोटे सिक्कों या विकृत या जाली करेंसी के लिए कर्मचारी द्वारा स्वीकृति के कारण रेल प्रशासन द्वारा उठाई गई हानियों की वसूली के लिए कटौतियां;

(ड) किसी रेल प्रशासन को शोध्य समुचित प्रभारों का, चाहे वे यात्री-भाड़े, ढुलाई, डेमरेज, घाट-भाड़े या क्रेन-भाड़े की बाबत हों, या खान-पान स्थापनों में खाद्य वस्तुओं के विक्रय की बाबत हों या अन्न की दुकानों में वस्तुओं के विक्रय की बाबत हों या अन्यथा, बीजक बनाने, बिल बनाने, वसूल करने या उनका लेखा देने में कर्मचारी की असफलता के कारण उस प्रशासन को हुई हानि की वसूली के लिए कटौतियां;

(ढ) कर्मचारी द्वारा गलती से अनुदत्त रिबेटों या प्रतिदायों के कारण किसी रेल प्रशासन को हुई हानियों की वसूली के लिए उस दशा में कटौतियां जिसमें ऐसी हानि उसकी उपेक्षा या व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्रत्यक्षत: हुई मानी जा सकती हैं;

(ण) कर्मचारी के लिखित प्राधिकार से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में या ऐसे अन्य कोष में जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय करने के लिए की गई कटौतियां;

(3) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कर्मचारी के मजदूरी से किसी मजदूरी अवधि में उपधारा (2) के अधीन की गई कोई कटौती की कुल रकम ऐसे मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियां मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हैं, वहां ऐसे आधिक्य को ऐसी रीति में वसूल किया जा सकेगा, जो विहित किया जाए।

(5) जहां इस धारा के अधीन नियोजन द्वारा कर्मचारी की मजदूरी में कोई कटौती की जाती है किंतु इसे तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों की अपेक्षानुसार न्यास के खाते में या सरकारी निधि या किसी अन्य खाते में जमा नहीं किया जाता है वहां ऐसे कर्मचारी को नियोजक की ऐसी चूक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

19. (1) किसी कर्मचारी पर कोई भी जुर्माना, उसके ऐसे कार्यों और लोपों की बाबत अधिरोपित जुर्माना।
करने के सिवाय जिन्हें नियोजक ने अपनी ओर से समुचित सरकार के या ऐसे प्राधिकारी के, जो विहित

किया जाए, अनुमोदन से उपधारा (2) के अधीन सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया हो, अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे कार्यों और लोपों को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना परिसर में जहां ऐसा काम किया जाता है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रदर्शित की जाएगी।

(3) किसी कर्मचारी पर, कोई भी जुर्माना तब तक, जब तक कि कर्मचारी को जुर्माने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो या ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किए जाने से अन्यथा जैसी जुर्माने को अधिरोपित करने के लिए विहित की जाए, अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(4) उस जुर्माने की कुल रकम जो किसी कर्मचारी पर किसी एक मजदूरी कालावधि में अधिरोपित की जा सकेगी उस मजदूरी कालावधि के संबंध में जिसमें उसको मजदूरी संदेय मजदूरी के तीन प्रतिशत के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी।

(5) किसी कर्मचारी पर, जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का है, पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं होगा।

(6) किसी कर्मचारी पर अधिरोपित कोई भी जुर्माना उससे किस्तों द्वारा वसूल नहीं होगा या उस दिन, जिसको वह अधिरोपित किया गया था, से नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् वसूल नहीं किया जाएगा।

(7) प्रत्येक जुर्माना कार्य या उसके लोप के दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिसकी बाबत वह अधिरोपित किया गया था।

(8) सभी जुर्माने और उसके सभी आपनों को ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा; और ऐसी सभी आपन स्थापन में नियोजित व्यक्तियों के लिए फायदाप्रद उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित किए जाएंगे जो विहित प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा अनुमोदित किए गए हों।

कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां।

20. (1) धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कटौतियां कर्मचारी की उस स्थान या उन स्थानों से, जहां उसके नियोजन के निबन्धनों द्वारा उससे काम करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी अनुपस्थिति के कारण ही की जा सकेगी जो उस सम्पूर्ण कालावधि या उसके किसी भाग के लिए हो, जिसके दौरान उससे इस प्रकार काम करने की अपेक्षा की जाती है।

(2) ऐसी कटौती की रकम का उस मजदूरी से अनुपात, जो कर्मचारी को उस मजदूरी कालावधि की बाबत संदेय है, जिससे कटौती की गई है, उस अनुपात से किसी भी दशा में अधिक न होगा जो उस कालावधि का, जिसमें वह अनुपस्थित रहा है, ऐसी मजदूरी कालावधि में की उस कुल कालावधि से है जिसके दौरान उसके नियोजन के निबंधन उससे काम करने की अपेक्षा करते हैं:

परंतु समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए यदि मिलकर दस या अधिक कार्यरत नियोजित व्यक्ति सम्यक् सूचना के बिना (अर्थात् वैसी सूचना दिए बिना जैसी उनके नियोजन के संविदा के निबंधनों के अधीन अपेक्षित है) और युक्तियुक्त हेतुक के बिना अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से की गई ऐसी कटौती में आठ दिनों की उसकी मजदूरी से अनधिक उतनी रकम सम्मिलित हो सकेगी जितनी सम्यक् सूचना के बदले में किन्हीं के बदले किन्हीं ऐसे निबंधनों के अनुसार नियोजक को शोध्य हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि कोई कर्मचारी उस स्थान से अनुपस्थित है जहां उससे कार्य करने के लिए अपेक्षा की जाती है यदि, वह ऐसे स्थान में उपस्थित रहने पर भी हाजिर हड़ताल के अनुसरण में या किसी अन्य कारण से जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त नहीं है अपना काम करने से इंकार करता है।

नुकसान या हानि के लिए कटौती।

21. (1) नुकसान या हानि के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (ड) के अधीन कोई कटौती कर्मचारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा नियोजक को कारित किसी नुकसान या हानि की रकम से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कर्मचारी को कटौती के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो या ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किए जाने से अन्यथा जो ऐसी कटौती करने के लिए विहित की जाए या न की जाएगी।

(3) सभी ऐसी कटौतियां और उनके सभी आपन उस रजिस्टर में ऐसी रीति में अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो विहित किया जाए।

की गई सेवाओं के लिए कटौती।

22. धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन कोई कटौती कर्मचारी की मजदूरी में से तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसने गृह-वास सुविधा या सेवा को, नियोजन संबंधी निबन्धन के रूप में या अन्यथा, प्रतिगृहीत न कर लिया हो, और ऐसी कटौती गृह-वास सुविधा या प्रदाय की गई सेवा के मूल्य के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगी, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जैसी समुचित सरकार अधिरोपित करे।

अग्रिमों की वसूली के लिए कटौतियां।

23. किसी कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कटौतियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएंगी, अर्थात्:–

(क) नियोजन आरंभ होने से पूर्व किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली किसी पूर्ण मजदूरी अवधि के संबंध में उसको किए गए मजदूरी के प्रथम संदाय में से की जाएगी किंतु यात्रा व्ययों के लिए दिए गए ऐसे अग्रिमों की वसूली नहीं की जाएगी;

(ख) नियोजन आरंभ होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी जो विहित की जाए;

(ग) किसी कर्मचारी की मजदूरी जिसे पहले से उसके द्वारा अर्जित नहीं किया गया है, के अग्रिमों की वसूली ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, जो विहित की जाए।

उधार की वसूली के लिए कटौतियां।

24. किसी कर्मचारी को दिए गए उधारों की वसूली के लिए कटौतियां धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन उस परिमाण को विनियमित करते हुए जिस तक ऐसे उधार अनुदत्त किए जा सकेंगे और उस पर संदेय ब्याज की दर वह होगी, जो विहित की जाए।

अध्याय का सरकारी स्थापनों को लागू न होना।

25. इस अध्याय के उपबंध सरकारी स्थापनों को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थापनों को ऐसे उपबंध लागू नहीं होते हैं।

अध्याय 4

बोनस का संदाय

बोनस, आदि के लिए पात्रता।

26. (1) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जो किसी लेखा वर्ष में कम से कम तीन दिन कार्य किया है, उसके नियोजक द्वारा समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रतिमास यथा अवधारित ऐसी रकम से अनधिक की मजदूरी प्राप्त करता है, कर्मचारी द्वारा अर्जित उपार्जित मजदूरी का आठ सही एक बटा तीन प्रतिशत की दर पर संगणित वार्षिक न्यूनतम बोनस या एक सौ रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, भले ही पूर्व लेखा वर्ष के दौरान नियोजक के पास कोई आबंटनीय अधिशेष है या नहीं, का संदाय किया जाएगा।

(2) बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए, जहां समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा अवधारित कर्मचारी की मजदूरी प्रतिमास ऐसी रकम से अधिक है वहां ऐसे कर्मचारी को संदेय बोनस उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो उसकी मजदूरी समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार अवधारित ऐसी रकम हो या समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियत हो, इनमें से जो भी अधिक हो।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लेखा वर्ष की बाबत, आबंटनीय अधिशेष उस उपधारा के अधीन कर्मचारियों को संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से अधिक हो तो नियोजक, ऐसे न्यूनतम बोनस के स्थान पर ऐसा बोनस उस लेखा वर्ष की बाबत प्रत्येक कर्मचारी को संदाय करने को बाध्य होगा; जो ऐसी मजदूरी के बीस प्रतिशत के अधिकतम के अध्यधीन लेखा वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के अनुपात में रकम होगी।

(4) इस धारा के अधीन आबंटनीय अधिशेष की संगणना करने में धारा 36 के उपबंधों के अधीन रकम को आगे के लिए रखना या रकम का मुजरा किया जाना उस धारा के उपबंधों के अनुसरण में रकम को हिसाब में लिया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोनस से अधिक बोनस के लिए कोई मांग या तो उत्पादन या उत्पादकता के आधार पर किसी ऐसे लेखा वर्ष में, जिसमें बोनस संदेय है, नियोजक और कर्मचारियों के मध्य करार या समझौता इस शर्त के अध्यधीन कि बोनस जिसमें धारा (1) में निर्दिष्ट वार्षिक न्यूनतम बोनस लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(6) उस लेखा वर्ष के अगले प्रथम पांच लेखा वर्षों में जिसमें नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल का विक्रय करता है या, यथास्थिति, ऐसे स्थापन में सेवा करता है, बोनस केवल उस लेखा वर्ष की बाबत संदेय होगा जिसमें नियोजक ऐसे स्थापन से लाभ व्युतपन्न होता है, और ऐसे बोनस का परिकलन उस वर्ष के संबंध में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार किन्तु धारा 36 के उपबंधों को लागू किए बिना किया जाएगा।

(7) उस लेखा वर्ष के अगले छठे और सातवें लेखा वर्ष के लिए जिसमें नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल का विक्रय करता है या, यथास्थिति ऐसे स्थापन में सेवा करता है धारा 36 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात्:—

(i) छठे लेखा वर्ष के लिए, यथास्थिति, पांचवें या छठे वर्षों की बाबत आगे के लिए रखे गए या मुजरा किए गए, आबंटनीय अधिशेष को, यथास्थिति, आधिक्य या कमी को यदि कोई हो हिसाब में लेते हुए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आगे के लिए रखे जाएंगे या मुजरा किए जाएंगे;

(ii) सातवें लेखा वर्ष के लिए पांचवें, छठे और सातवें लेखा वर्षों की बाबत आगे के लिए रखे गए या मुजरा किए गए, यथास्थिति, आधिक्य या कमी को, यदि कोई हो हिसाब में लेते हुए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, यथास्थिति, आगे के लिए रखे या मुजरा किए जाएंगे।

(8) उस लेखा वर्ष के अगले आठवें लेखा वर्ष से, जिसमें नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल का विक्रय करता है या, यथास्थिति, ऐसे स्थापन में सेवा करता है, धारा 36 के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य स्थापन के संबंध में लागू होते।

स्पष्टीकरण 1—उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए, किसी नियोजक के बारे में यह बात कि उसको किसी लेखा वर्ष में लाभ व्युत्पन्न हुआ है तब तक नहीं समझी जाएगी, जब तक—

(क) उसने उस वर्ष के अवक्षयण के लिए व्यवस्था न कर ली हो जिसके लिए वह, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम के अधीन या कृषि आय-कर विधि के अधीन हकदार है; और

(ख) ऐसे अवक्षयण मद्दे बकाया तथा उसके द्वारा उपगत हानियां जो उस स्थापन के संबंध में पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के मद्दे हो उसके लाभों में से पूर्णतया मुजरा न कर ली गई हों।

स्पष्टीकरण 2—उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए किसी कारखाने के परीक्षणार्थ चलाने के दौरान या किसी खान या तेल क्षेत्र के पूर्वेक्षण प्रक्रम के दौरान उत्पादित माल या विनिर्मित माल का विक्रय हिसाब में नहीं लिया जाएगा और जहां ऐसे उत्पादन या विनिर्माण के संबंध में ऐसा कोई प्रश्न उठता है वहां समुचित सरकार पक्षकारों को अपने मामलो का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मुद्दे का विनिश्चय करेगी।

(9) उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, जहां तक हो सके, विद्यमान स्थापनों द्वारा स्थापित किए गए नए विभागों या उपक्रमों या शाखाओं को यावत्शक्य लागू होंगे।

27. जहां किसी कर्मचारी ने किसी लेखा वर्ष में सभी कार्य दिवसों में कार्य नहीं किया है तो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम बोनस, यदि ऐसा बोनस उस लेखा वर्ष जिसमें ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के दिवसों के वेतन या मजदूरी से आठ दशमलव तैंतीस प्रतिशत से अधिक हो तो आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। कतिपय मामलों में बोनस में आनुपातिक कमी।

28. कर्मचारी की बाबत यह बात धारा 27 के प्रयोजनों के लिए समझी जाएगी कि उसने किसी लेखा वर्ष के स्थापन में उन दिनों में भी काम किया है जिन दिनों,— काम के दिनों की संख्या की संगणना।

(क) वह किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन स्थायी आदेश द्वारा यथा अनुज्ञात रूप में या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन या स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन कामबंदी में रखा गया है; 1946 का 20 1947 का 14

(ख) वह वेतन या मजदूरी के सहित छुट्टी पर रहा है;

(ग) वह अपने नियोजन से उद्भूत और उसके अनुक्रम में दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है; और

(घ) लेखा वर्ष के दौरान वह कर्मचारी वेतन या मजदूरी के सहित छुट्टी पर रहा है।

29. इस संहिता में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन बोनस प्राप्त करने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,— बोनस के लिए निरर्हता।

(क) कपट; अथवा

(ख) स्थापन के परिसर में होते हुए किसी बलवात्मक या हिंसात्मक आचरण; अथवा

(ग) स्थापन की किसी संपत्ति की चोरी, उसका दुर्विनियोग या अभिध्वंस; या

(घ) यौन उत्पीड़न के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने,

के कारण सेवाच्युत कर दिया जाता है।

30. जहां कोई स्थापन विभिन्न विभागों या उपक्रमों से मिलकर बने हैं या उसकी शाखाएं हैं चाहे वे एक ही स्थान में या विभिन्न स्थानों में स्थित हों, वहां सभी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा को इस संहिता के अधीन बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए उसी स्थापन का भाग समझा जाएगा : स्थापन, जिसके विभाग, उपक्रम और शाखाएं भी है।

परंतु जहां किसी लेखा वर्ष के लिए पृथक् तुलनपत्र और लाभ तथा हानि का लेखा और किसी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा के संबंध में तैयार किए जाते हैं या बनाए रखे जाते हैं वहां वे ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा को उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए पृथक् स्थापन तब तक समझे जाएंगे जब तक कि ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा को उस लेखा वर्ष के प्रारंभ से ठीक पहले बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए स्थापन का भाग समझा गया है।

31. (1) बोनस का आबंटित अधिशेष में से संदाय किया जाएगा जो बैंककारी कंपनी की दशा में साठ प्रतिशत की रकम और अन्य स्थापन की दशा में सड़सठ प्रतिशत, उपलब्ध अधिशेष की रकम के बराबर होगी और उपलब्ध अधिशेष धारा 33 के अनुसार संगणित रकम होगी। आबंटित अतिशेष में से बोनस का संदाय।

(2) कंपनियों के संपरीक्षित लेखा प्रसामान्यतः प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

(3) जहां बोनस की मात्रा के संबंध में कोई विवाद होता है वहां अधिकारिता रखने वाली समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी नियोजक को अपने समक्ष तुलनपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा लेकिन प्राधिकारी तुलनपत्र में अन्तर्विष्ट किसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक नियोजक इससे सहमत न हो जाए।

32. नियोजक को किसी लेखा वर्ष की बाबत किसी स्थापन से व्युत्पन्न सकल लाभ,— सकल लाभ की संगणना।

(क) बैंककारी कंपनी की दशा में, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संगणित किया जाएगा;

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संगणित किया जाएगा।

उपलब्ध अधिशेष की संगणना।

33. किसी लेखा वर्ष के संबंध में उपलब्ध अधिशेष, धारा 34 में निर्दिष्ट राशियों की उसमें से कटौती के पश्चात् उस वर्ष का सकल लाभ होगा:

परंतु इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् किसी वर्ष में किसी दिन को प्रारंभ होने वाले लेखा वर्ष के संबंध में और प्रत्येक पश्चात्वर्ती लेखा वर्ष के संबंध में उपलभ्य अधिशेष निम्नलिखित का योग होगा—

(क) धारा 34 में निर्दिष्ट राशियों की कटौती करने के पश्चात् उस लेखा वर्ष के सकल लाभ; और

(ख) निम्नलिखित के बीच अंतर के बराबर रकम होगी—

(i) ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के नियोजक के सकल लाभों के समान रकम धारा 35 के उपबंधों के अनुसार परिकलित प्रत्यक्ष कर; और

(ii) ऐसे पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के नियोजक के सकल लाभों में से बोनस की रकम की कटौती करने के पश्चात् उस रकम के, जो नियोजक ने अपने कर्मचारियों को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस वर्ष के लिए दी हो या देने का दायी हो, बराबर रकम की बाबत धारा 35 के अनुसार परिकलित प्रत्यक्ष कर।

सकल लाभों से कटौती योग्य राशियां।

34. निम्नलिखित राशियां सकल लाभों से पूर्ववर्ती प्रभारों के रूप में काटी जाएंगी, अर्थात्:—

(क) ऐसी कोई भी रकम जो अवक्षयण के रूप में, यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के उपबंधों या कृषि आय-कर विधि के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय हो;

(ख) धारा 35 के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसा कोई प्रत्यक्ष कर, जिसको उस लेखा वर्ष के लिए नियोजक उस वर्ष के दौरान अपनी आय लाभों और अभिलाभों की बाबत संदाय करके का दायी है;

(ग) नियोजक की बाबत ऐसी अतिरिक्त राशियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

नियोजक द्वारा संदेय प्रत्यक्ष कर का परिकलन।

35. इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, किसी लेखा वर्ष के लिए नियोजक द्वारा उस वर्ष के लिए संदेय किसी प्रत्यक्ष कर का परिकलन निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन नियोजक की आय को लागू दरों पर किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे कर का परिकलन करने में,—

(i) कोई ऐसी हानि जो नियोजक ने किसी पूर्व लेखा वर्ष की बाबत उपगत की है और प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अग्रनीत की गई है;

(ii) अवक्षयण विषयक किन्हीं ऐसे बकायों को जिन्हें नियोजक आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन आगामी किसी लेखा वर्ष या किन्हीं लेखा वर्षों के अवक्षयण लेखे मोक की रकम में जोड़ने का हकदार है; हिसाब में नहीं ली जाएगी;

(ख) जहां नियोजक ऐसी धार्मिक या पूर्त संस्था है जिसको धारा 41 के उपबंध लागू नहीं होते हैं और उनकी संपूर्ण आय या उसकी आय का कोई भाग आय-कर अधिनियम के अधीन कर से छूट प्राप्त है वहां इस प्रकार छूट प्राप्त आय के संबंध में ऐसी संस्था के रूप में माना जाएगा मानो वह एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें जनता उस अधिनियम के अर्थ में पर्याप्ततः हितबद्ध है;

(ग) जहां नियोजक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, वहां आय-कर अधिनियम के अधीन

ऐसे नियोजक द्वारा संदत्त कर का परिकलन इस अधार पर किया जाएगा कि उसके द्वारा स्थापन से व्युत्पन्न आय केवल उसकी आय है;

(घ) जहां किसी नियोजक की कोई आय, जिसमें लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो भारत से बाहर निर्यात किसी माल या वाणिज्य वस्तु से व्युत्पन्न हुए हों और ऐसी आय पर कोई रिबेट प्रत्यक्ष करों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञात है वहां ऐसा रिबेट हिसाब में नहीं लिया जाएगा;

(ङ) प्रत्यक्ष करों के संदाय में विकास रिबेट या विनिधान मोक या विकास मोक से भिन्न कोई रिबेट या प्रत्यय या राहत या कटौती (जो इस धारा में इसके पूर्व वर्णित नहीं है) जो प्रत्यक्ष कर संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन या सुसंगत वार्षिक वित्त अधिनियम के अधीन किसी उद्योग के विकास के लिए अनुज्ञात है, गणना में नहीं ली जाएगी।

आबंटनीय अधिशेष का आगे के लिए रखा जाना और मुजरा किया जाना।

36. (1) जहां किसी लेखा वर्ष के लिए आबंटनीय अधिशेष धारा 26 के अधीन उस स्थापन में सब कर्मचारियों को संदेय अधिकतम बोनस की रकम से अधिक है वहां वह आधिक्य उस लेखा वर्ष में उस स्थापन में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरी में बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए उत्तरवर्ती लेखा के लिए और उसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है जिसे ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आगे रखे जाने के लिए अग्रनीत किया जाएगा।

(2) जहां किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलभ्य अधिशेष नहीं है या उस वर्ष की बाबत आबंटनीय अधिशेष उस स्थापन के कर्मचारियों को धारा 26 के अधीन संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से कम पड़ता है और उपधारा (1) के अधीन अग्रनीत और आगे के लिए रखी गई कोई भी ऐसी रकम या पर्याप्त रकम नहीं है जो न्यूनतम बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा सके, वहां, यथास्थिति, ऐसी न्यूनतम रकम या कमी को उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है उस रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किया जाएगा।

(3) आगे के लिए रखे जाने या मुजरा किए जाने का सिद्धांत जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन नियमों में उपबंध किया जाए इस अधिनियम के अधीन बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों को लागू होगा।

(4) जहां किसी लेखा वर्ष में अग्रनीत कोई रकम इस धारा के अधीन आगे के लिए रखी गई है या मुजरा की गई है, वहां उत्तरवर्ती लेखा वर्ष के लिए बोनस की संगणना करने में, पूर्वतम लेखा वर्ष की आगे के लिए रखी गई या मुजरा की गई अग्रनीत रकम, प्रथमत: लेखा में ली जाएगी।

इस संहिता के अधीन संदेय बोनस के विरुद्ध रूढ़िगत या अंतरिम बोनस का समायोजन।

37. जहां किसी लेखा वर्ष में,–

(क) नियोजक के कर्मचारी को कोई पूजा बोनस या रूढ़िगत बोनस दे दिया है; या

(ख) नियोजक ने इस अधिनियम के अधीन संदेय बोनस का कोई भाग ऐसे बोनस के संदेय हो जाने की तारीख से पूर्व कर्मचारी को दे दिया है,

वहां नियोजक हकदार होगा कि वह उस लेखा वर्ष की बाबत इस संहिता के अधीन अपने द्वारा उस कर्मचारी को संदेय बोनस की रकम में से उस प्रकार संदत्त बोनस की रकम की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा।

संदेय बोनस में से कतिपय रकमों की कटौती।

38. जहां कोई कर्मचारी ऐसे अवचार का दोषी किसी लेखा वर्ष में पाया जाता है जिससे नियोजक को वित्तीय हानि कारित होती है वहां नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बोनस की उस रकम में से, जो केवल उस लेखा वर्ष की बाबत इस संहिता के अधीन उसके द्वारा कर्मचारी को संदेय हो, हानि की उस रकम की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी अतिशेष, यदि कोई हों, के प्राप्त करने का हकदार होगा।

बोनस के संदाय के लिए समय परिसीमा।

39. (1) इस संहिता के अधीन बोनस के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकम उसके नियोजक द्वारा लेखा वर्ष के समाप्त होने से आठ मास की अवधि के भीतर कर्मचारी को उसके बैंक खाते में जमा करके संदत्त की जाएगी:

परंतु समुचित सरकार या ऐसा प्राधिकारी, जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियोजक द्वारा उससे आवेदन किए जाने पर और पर्याप्त कारणों के लिए, आदेश द्वारा, उक्त आठ मास की कालावधि को इतनी अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों तक बढ़ा सकेगा, जितनी वह ठीक समझे, किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राधिकारी के समक्ष बोनस के संदाय से संबंधित कोई विवाद लंबित है, उस तारीख से, जिसको ऐसे विवाद के संबंध में अधिनिर्णय प्रवृत्त होता है या समाधान प्रवर्तन में आता है, एक मास की अवधि के भीतर ऐसा बोनस संदत्त किया जाएगा:

परंतु यदि उच्चतर दर पर संदाय के लिए कोई विवाद हो तो नियोजक लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ मास की अवधि के भीतर इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का आठ और एक तिहाई प्रतिशत संदत्त करेगा।

कतिपय दशाओं में पब्लिक सेक्टर स्थापनों को इस अध्याय का लागू होना।

40. (1) यदि कोई पब्लिक सेक्टर स्थापन किसी लेखा वर्ष में किसी प्राइवेट सेक्टर स्थापन की प्रतियोगिता में कोई माल, जो उसके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है, बेचता है या कोई सेवाएं देता है और ऐसी बिक्री या सेवाओं या दोनों से प्राप्त आय उस वर्ष में उसकी सकल आय के बीस प्रतिशत से कम है तो इस अध्याय के उपबंध ऐसे पब्लिक सेक्टर स्थापन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे तदरूप सेक्टर स्थापन के संबंध में लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय इस अध्याय की कोई बात ऐसे कर्मचारियों को लागू नहीं होगी जो पब्लिक सेक्टर के किसी स्थापन में नियोजित हैं।

इस अध्याय का लागू न होना।

41. (1) इस अध्याय की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (42) में यथापरिभाषित नाविक; 1958 का 44

(ग) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध कर्मचारियों और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध कर्मचारी; 1948 का 9

(घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग के प्राधिकार के अधीन किसी स्थापन द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(ङ) निम्नलिखित द्वारा नियोजित कर्मचारी—

(i) इंडियन रेडक्रास सोसाइटी या वैसे ही प्रकार की कोई अन्य संस्था, जिसके अंतर्गत उसकी शाखाएं भी हैं;

(ii) विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं;

(iii) ऐसी संस्थाएं, जिनके अंतर्गत अस्पताल, वाणिज्य चैम्बर तथा समाज कल्याण संस्थाएं भी हैं, जिनकी स्थापना लाभ के प्रयोजन के लिए नहीं की गई है;

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(छ) किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न पब्लिक सेक्टर वित्तीय संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी, जिनको केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(i) उसकी पूंजी संरचना;

(ii) उसके उद्देश्यों और उसके कार्यकलापों की प्रकृति;

(iii) सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता या किसी रियायत की प्रकृति और परिमाण; और

(iv) कोई अन्य सुसंगत कारक;

(ज) किसी अन्य देश से होकर जाने वाले मार्गों पर क्रियाशील अंतर्देशीय जल परिवहन स्थापनों द्वारा नियोजित कर्मचारी; और

(झ) किसी अन्य स्थापन के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थापनों में कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बांटने की किसी अन्य स्कीम के अधीन समग्र फायदों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबंध ऐसे स्थापनों को लागू होंगे, जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या किसी लेखांकन वर्ष के दौरान किसी अन्य दिन को नियोजित थे।

अध्याय 5

सलाहकार बोर्ड

42. (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनेगा— केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड।

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले;

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या में बराबर होंगे;

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे; और

(घ) राज्य सरकारों के ऐसे पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और उक्त उपधारा के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट एक सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड समय-समय पर निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों के निर्देश पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा,—

(क) न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका पुनरीक्षण और अन्य संबद्ध विषय;

(ख) महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करना;

(ग) वह सीमा जिस तक महिलाओं को ऐसे स्थापनों या नियोजनों में नियोजित किया जा सके जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; और

(घ) इस संहिता से संबंधित कोई अन्य विषय,

और ऐसी सलाह पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह बोर्ड को निर्दिष्ट मुद्दों के संबंध में विषयों की बाबत उचित समझे।

(4) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी—

(क) न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका पुनरीक्षण और अन्य संबद्ध विषय;

(ख) महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए;

(ग) उस सीमा के संबंध में, जिस तक महिलाओं को ऐसे स्थापनों या नियोजनों में नियोजित किया जा सके जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; और

(घ) इस संहिता से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर बोर्ड को निर्दिष्ट करे।

(5) राज्य सलाहकार बोर्ड उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित मुद्दों पर जांच करने के लिए एक या उससे अधिक समितियों या उप समितियों का गठन कर सकेगा।

(6) राज्य सलाहकार बोर्ड और उसकी प्रत्येक समिति और उप-समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले;

(ख) जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या में बराबर होंगे; और

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या उपसमिति के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और उक्त उपधारा के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति—

(क) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी;

(ख) राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, समिति या उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी।

(8) राज्य सलाहकार बोर्ड, उपधारा (4) के खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों पर सलाह देते समय, यथास्थिति, संबंधित स्थापन या नियोजन में नियोजित महिलाओं की संख्या, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, नियोजन के लिए महिलाओं की उपयुक्तता, महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करने और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को, जो बोर्ड उचित समझे, ध्यान में रखेगा।

(9) राज्य सरकार स्वयं उसको राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् तथा स्थापनों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार उचित समझे, से अभ्यावेदनों को आमंत्रित करने और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी करेगी जैसा आवश्यक समझा जाए।

(10) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड, क्रमश: अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों और उपसमितियों की प्रक्रिया भी है, का यथा विहित रीति में विनियमन करेंगे।

(11) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड की पदावधि, जिसके अन्तर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों और उप समितियों की पदावधि भी है, वह होगी जो विहित की जाए।

अध्याय 6

शोध्यों, दावों का संदाय और लेखापरीक्षा

विभिन्न शोध्यों का संदाय करने का उत्तरदायित्व।

43. प्रत्येक नियोजक, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को इस संहिता के अधीन अपेक्षित सभी रकमों का संदाय करेगा:

परंतु जहां ऐसा नियोक्ता इस संहिता के अनुसार ऐसे संदाय करने में असफल रहता है वहां कंपनी या

फर्म या संगम या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का स्वत्वधारी, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं ऐसा संदाय करने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''फर्म'' पद का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय
1932 का 9 भागीदारी अधिनियम, 1932 में है।

किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विभिन्न असंवितरित शोध्यों का संदाय।

44. (1) इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकमें, यदि ऐसी रकमों के संदाय से पूर्व उसकी मृत्यु के लेखे या उसका पता ज्ञात न होने के कारण संदाय नहीं किया जा सका है या नहीं किया जा सकता है तो—

(क) उनका संदाय उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा; या

(ख) जहां ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या जहां किसी कारण से ऐसी रकम का इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय नहीं किया जा सकता है तो वहां उस रकम को ऐसे प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, के पास जमा कर दिया जाएगा, वह उस रकम से उस रीति में, जो विहित की जाए, व्यौहार करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकमों का—

(क) नियोजक द्वारा ऐसे व्यक्ति को संदाय किया जाता है जिसे कर्मचारी द्वारा नाम निर्देशित किया जाएं है; या

(ख) नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जमा किया जाता है,

तब नियोक्ता को उन रकमों का संदाय करने के दायित्व से निर्मुक्त किया जाएगा।

संहिता के अधीन दावे और उनकी प्रक्रिया।

45. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अन्यून एक या अधिक प्राधिकारियों को इस संहिता के उपबंधों के अधीन उद्भूत दावों की सुनवाई और उन पर विनिश्चय करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, उस उपधारा के अधीन दावे का विनिश्चय करते समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन दावा उद्भूत हुआ है, अवधारित दावे के अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय अवधारित दावे से दस गुणा तक हो सकेगा और प्राधिकारी द्वारा दावे का विनिश्चय तीन मास की कालावधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा (2) के अधीन अवधारित दावे का और आदेश किए गए प्रतिकर का संदाय करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकारी उस जिले, जिसमें स्थापन अवस्थित है, के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को वसूली का प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उनकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करेगा तथा उन्हें प्राधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी को संदाय करने के लिए जमा करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे के लिए प्राधिकारी के समक्ष किसी आवेदन को निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा—

(क) संबंधित कर्मचारी; या

1926 का 16 (ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ को, जिसका कर्मचारी सदस्य है; या

(ग) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता।

(5) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की किसी भी संख्या के संबंध में या उनके निमित्त इस धारा के अधीन एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन आवेदन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे के उद्‌भूत होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर फाइल किया जा सकेगा:

परन्तु उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, आवेदक द्वारा ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर तीन वर्ष के पश्चात् आवेदन ग्रहण कर सकेगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी और धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी को अध्यक्ष और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन साक्ष्य लेने और साक्षियों की उपस्थिति प्रवृत्त करने के लिए तथा दस्तावेज देने के लिए विवश करने की सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी तथा प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। (1908 का 5; 1974 का 2)

संहिता के अधीन विवादों का निर्देश।

46. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां—

(क) इस संहिता के उपबंधों के अधीन बोनस नियत करने या बोनस के संदाय के लिए पात्रता के संबंध में; या

(ख) बोनस के संबंध में पब्लिक सेक्टर में स्थापन के संबंध में, इस संहिता के लागू होने के संबंध में,

किसी नियोक्ता और उसके कर्मचारी के बीच कोई विवाद उद्‌भूत होता है तब ऐसे विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ के भीतर औद्योगिक विवाद समझा जाएगा। 1947 का 14

निगमों और कंपनियों के तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे के सही होने के संबंध में अवधारणा।

47. (1) जहां, धारा 45 और धारा 46 में विनिर्दिष्ट प्रकृत्ति के किसी विवाद की बाबत या धारा 49 के अधीन किसी अपील की बाबत कार्यवाहियों के दौरान, यथास्थिति,—

(क) धारा 45 के अधीन प्राधिकारी; या

(ख) धारा 49 के अधीन अपील प्राधिकारी; या

(ग) अधिकरण; या

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा (*2*) के खंड (कक) में निर्दिष्ट मध्यस्थ, 1947 का 14

के समक्ष किसी नियोक्ता के जो निगम या कोई कंपनी (किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न) है, तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, जिसकी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अधीन कंपनियों के लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्त: अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे में अंतर्विष्ट विवरणियां और विशिष्टियां सही हैं तथा निगम या कंपनी के लिए ऐसे विवरणों और विशिष्टियों की शुद्धता को किसी शपथ-पत्र फाइल करके या किसी अन्य ढंग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी: (2013 का 18)

परंतु जहां, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ का यह समाधान हो जाता है कि निगम या कंपनी का तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखा सही नहीं है तो वह ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ऐसे विवरणों और विशिष्टियों की शुद्धता का पता लगाने के लिए आवश्यक समझे।

(2) जब, यथास्थिति, कोई आवेदन या अपील किसी व्यवसाय संघ द्वारा, जो किसी विवाद में पक्षकार है उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, किसी प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ और जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, कर्मचारियों द्वारा किसी विवाद में पक्षकार होने के नाते या, यथास्थिति, तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखे की किसी मद के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए कोई आवेदन किया जाता है तो वह स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा स्पष्टीकरण

आवश्यक है, आदेश द्वारा, यथास्थिति, निगम या कंपनी को व्यवसाय संघ या कर्मचारियों को ऐसा स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर, जो, यथास्थिति, कंपनी या निगम को निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, देने का निदेश देगा और यथास्थिति, निगम या कंपनी ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी।

नियोक्ताओं, जो निगम या कंपनी नहीं हैं, के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

48. (1) जहां किसी नियोक्ता, जो निगम या कंपनी नहीं है और उसके कर्मचारियों के बीच इस संहिता के अधीन संदेय बोनस के संबंध में कोई दावा, विवाद या अपील धारा 47 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट, यथास्थिति, किसी प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष कोई विवाद
2013 का 18 लंबित है उस धारा के अधीन और ऐसे नियोक्ता के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के उपबंधों के अधीन कंपनियों के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्त: अर्हित किसी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित लेखे ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो धारा 47 के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लेखापरीक्षित लेखाओं को लागू होंगे।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ यह पाता है कि ऐसे नियोजक के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा नहीं की गई है और उसका यह मत है कि उसे निर्दिष्ट प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए ऐसे नियोजक के लेखाओं की लेखापरीक्षा आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा नियोजक को उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या ऐसे और समय के भीतर, जो वह अनुज्ञात करे, ऐसे लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों, जैसा वह उचित समझे, द्वारा की जाए तथा तत्पश्चात् नियोजक ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

(3) जहां कोई नियोजक उपधारा (2) के अधीन लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने में असफल रहता है तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ धारा 54 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखाओं की ऐसे लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों, जैसा वह ठीक समझे, द्वारा लेखापरीक्षा करा सकेगा।

(4) जब उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है तो धारा 47 के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लेखापरीक्षित लेखाओं को लागू होंगे।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी लेखापरीक्षा के व्यय और उससे अनुषंगी व्यय, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक है, का अवधारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसे नियोजक द्वारा संदत्त किया जाएगा तथा ऐसे संदाय का व्यतिक्रम धारा 45 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता से उस उपधारा में उपबंधित रीति में वसूलनीय होगा।

अपील।

49. (1) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, समुचित सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी या अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा:

परंतु अपील प्राधिकारी, नब्बे दिन के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील फाइल करने में विलंब पर्याप्त कारण से कारित हुआ है।

(2) अपील प्राधिकारी, समुचित सरकार के धारा 45 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से कम से कम एक उच्चतर रैंक का पद धारण करने वाले समुचित सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किया जाएगा।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटान करेगा और अपील को तीन मास की कालावधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) अपील प्राधिकारी के आदेशों के अधीन बकाया शोध्यों की वसूली धारा 45 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति में वसूली प्रमाणपत्र जारी करके की जाएगी।

अभिलेख, विवरणियां और सूचनाएं।

50. (1) स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता, जिसे यह संहिता लागू होती, एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी के संबंध में ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अंतर्विष्ट होंगे।

(2) प्रत्येक नियोक्ता स्थापन के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर एक सूचना प्रदर्शित करेगा जिसमें इस संहिता का सार, कर्मचारियों की प्रवर्गवार मजदूरी दरें, मजदूरी अवधि, मजदूरी के संदाय का दिन या तारीख और समय तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता का नाम और पता होगा।

(3) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारियों को मजदूरी पर्चियां ऐसे प्ररूप और रीति में जारी करेगा जो विहित किए जाएं।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) के उपबंध नियोक्ता को कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को नियोजित करने की सीमा तक लागू नहीं होंगे:

परंतु ऐसा नियोक्ता, जब मांग की जाए, निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के समक्ष इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों को मजदूरियों का संदाय करने का युक्तियुक्त सबूत प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''घरेलू प्रयोजन'' पद से वह प्रयोजन अभिप्रेत है, जो अनन्य रूप से नियोक्ता के गृह या कुटुंब के कार्यों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत स्थापना, उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या वृत्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं है।

अध्याय 7

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां।

51. (1) समुचित सरकार, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता नियुक्त कर सकेगी जो, ऐसे राज्य या भौगोलिक सीमाओं में स्थित एक या अधिक स्थापनों के संबंध में समनुदेशित सर्वत्र राज्य या ऐसी भौगोलिक सीमाओं पर या, यथास्थिति, समुचित सरकार द्वारा उसको समनुदेशित एक या अधिक स्थापनों, भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखे बिना उपधारा (4) के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक निरीक्षण स्कीम बनाएगी, जो वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची तैयार करने और इलैक्ट्रानिक रूप से इस संहिता के अधीन निरीक्षण से संबंधित सूचना की मांग करने का भी उपबंध कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को जो ऐसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण करने के लिए दृच्छित चयन की ऐसी अधिकारिता प्रदान कर सकेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को भारतीय दंड संहिता की 1860 का 45
धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

(5) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए—

(क) इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने से संबंधित नियोक्ताओं और कर्मकारों को सलाह दे सकेगा;

(ख) समुचित सरकार द्वारा उसे यथासमनुदेशित स्थापनों का निरीक्षण कर सकेगा।

(6) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,–

(क) स्थापना के किसी परिसर में पाए गए किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, जिसके लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह स्थापन का कर्मकार है;

(ख) किसी व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिससे व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में सूचना देना उसकी शक्ति में है;

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या भागों की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जो निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता इस संहिता के अधीन किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे और जिसके लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अपराध किसी नियोक्ता द्वारा कारित किया गया है;

(घ) ऐसी त्रुटियों या दुरुपयोगों को समुचित सरकार के ध्यान में ला सकेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत नहीं आती हैं; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाएं।

(7) किसी भी व्यक्ति, जिससे उपधारा (5) के अधीन से कोई दस्तावेज या निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता
1860 का 45 द्वारा जानकारी देने की अपेक्षा की गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

1974 का 2 (8) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (5) के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को भी वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

52. (1) कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा
1926 का 16 या व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापार संघ या किसी निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की शिकायत पर ही लेगा अन्यथा नहीं। अपराधों का संज्ञान।

1974 का 2 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी का कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।

53. (1) धारा 52 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) तथा उपधारा (2) और धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को ऐसी रीति में जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी, जो विहित की जाए। कतिपय मामलों में सरकार के समुचित अधिकारियों की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

(2) जांच करते समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के पास ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित है, साक्ष्य देने या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने, जो ऐसे अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध किया है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ऐसे उपबंधों के अनुसार ठीक समझता है।

54. (1) कोई नियोक्ता, जो,— अपराधों के लिए शास्तियां।

(क) किसी कर्मचारी को इस संहिता के उपबंधों के अधीन देय रकम से कम रकम का संदाय करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ख) खंड (क) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, इस खंड के

अधीन पहले या पश्चात्‌वर्ती अपराध को कारित करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर समान अपराध का पुन: दोषी पाया जाता है तो वह दूसरे और पश्चात्‌वर्ती अपराध के कारित करने पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा;

(ग) इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या जारी किए गए किसी आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा;

(घ) खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात्‌ पहले या पश्चात्‌वर्ती अपराध को कारित करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर इस खंड के अधीन समान अपराध का दोषी पाए जाने पर अपराध को इस खंड के अधीन दूसरे और पश्चात्‌वर्ती अपराध कारित करने के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो चालीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थापन में अभिलेखों के न रखे जाने या उपयुक्त रूप से न रखे जाने के अपराध के लिए नियोक्ता जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता उक्त खंड या उपधारा के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व नियोक्ता को इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लिखित निदेश के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेगा, जिसमें ऐसे अनुपालन के लिए समयावधि अधिकथित होगी और यदि नियोक्ता ऐसी कालावधि के दौरान निदेशों का अनुपालन करता है तो निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता अभियोजन ऐसी कार्यवाही आरंभ नहीं करेगा और नियोक्ता को ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि इस संहिता के अधीन उसी प्रकृति का उल्लंघन उस तारीख से, जिसको पहला उल्लंघन कारित किया गया था, से पांच वर्ष की कालावधि के दौरान दोहराया जाता है और उस दशा में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

55. (1) यदि इस संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक्‌ तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) कोई फर्म; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी; या 2009 का 6

(iii) व्यष्टिकों का कोई अन्य संगम; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

1974 का 2

56. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, अभियुक्त व्यक्ति के किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् आवेदन पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जैसा समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, का ऐसे अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने की अधिकतम रकम के पचास प्रतिशत तक यथाविहित रीति में उपशमन किया जा सकेगा। अपराधों का प्रशमन।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या तत्पश्चात् निम्नलिखित तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कारित किसी अपराध को लागू नहीं होगी–(i) किसी ऐसे समान अपराध को कारित करने पर, जिसका पहले उपशमन किया गया था; (ii) किसी समान अपराध को कारित करने पर, जिसके लिए व्यक्ति को पहले दोषसिद्ध ठहराया गया था।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी समुचित सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए अपराधों के उपशमन की शक्तियों का निर्वहन करेगा।

(4) अपराधों के उपशमन के लिए प्रत्येक आवेदन उस रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) जहां किसी अपराध का उपशमन अभियोजन संस्थित होने से पूर्व किया जाता है तो ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का उपशमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी अपराध का प्रशमन किसी अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे उपशमन को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा न्यायालय के ध्यान में, जिसमें अभियोजन लंबित है, लिखित में लाया जाएगा और अपराध के उपशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार उपशमन किया गया है, को निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य राशि का ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त संदाय करने का दायी होगा।

(8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का उपशमन इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा अन्यथा नहीं।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

57. कोई भी न्यायालय न्यूनतम मजदूरी—मजदूरी में से किसी कटौती, मजदूरियों और बोनस के संदाय में किसी अन्तर की वसूली के लिए किसी वाद को वहां तक ग्रहण नहीं करेगा, जहां तक इस प्रकार दावा की गई राशि— वाद का वर्जन।

(क) धारा 45 के अधीन दावे का विषय बनती है;

(ख) इस संहिता के अधीन किसी निदेश का विषय बन गई है;

(ग) इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायनिर्णीत की गई है;

(घ) को इस संहिता के अधीन वसूल किया जा सकता था।

58. कोई भी वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही इस संहिता के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए समुचित सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

सबूत का भार।

59. जहां पारिश्रमिक या बोनस का संदाय न करने के कारण या मजदूरी या बोनस के कम संदाय के कारण या इस संहिता द्वारा किसी कर्मचारी को मजदूरी से प्राधिकृत न की गई कटौतियां करने के कारण यह साबित करने का भार कि उक्त शोध्यों का संदाय किया गया है, नियोक्ता पर होगा।

संविदा द्वारा त्याग।

60. कोई संविदा या करार, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन किसी रकम के प्रति अधिकार या उसे देय बोनस के अधिकार का त्याग कर देता है, वहां तक बातिल और शून्य होगा जहां तक वह इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति के, ऐसी रकम का संदाय करने के दायित्व को हटाने या उसे कम करने के लिए तात्पर्यित है।

इस संहिता से असंगत विधियों, करारों, आदि का प्रभाव।

61. इस संहिता के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट या किसी अधिनिर्णय, करार, समझौते या सेवा की संविदा के निबंधनों में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावशील होंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

62. समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश देगी कि इस संहिता के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी—

(क) जहां समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है, वहां केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) जहां समुचित सरकार राज्य सरकार है वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

कतिपय मामलों में नियोक्ता को दायित्व से छूट।

63. जहां किसी नियोजक पर इस संहिता के अधीन अपराध का आरोप लगाया जाता है वहां उसके द्वारा की गई सम्यक्त: शिकायत पर हकदार होगा वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोप लगाता है, को आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर न्यायालय के समक्ष बुलवाए जाने के लिए और यदि अपराध किए जाने को साबित करने के पश्चात् नियोक्ता न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि—

(क) उसने इस संहिता के निष्पादन के लिए सम्यक् तत्परता बरती है; और

(ख) उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता के बिना किया था,

तो वह अन्य व्यक्ति को उस अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाएगा और वह उसी प्रकार दण्डनीय होगा मानो वह नियोक्ता था और नियोक्ता इस संहिता के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा:

परंतु नियोजक पूर्वोक्तानुसार साबित करने की ईप्सा करता है तो उसकी शपथ पर परीक्षा की जा सकेगी तथा नियोजक या उसके साक्षी, यदि कोई हो, के साक्ष्य की उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिस पर नियोजक वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता है और अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाएगी।

सरकार के पास नियोक्ता की आस्तियों की कुर्की के विरुद्ध संरक्षण।

64. किसी नियोक्ता द्वारा समुचित सरकार के पास उस सरकार के साथ किसी संविदा के सम्यक् निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई कोई रकम तथा उस सरकार से उस संविदा के संबंध में ऐसे नियोक्ता को शोध्य अन्य रकम नियोक्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में सिवाय पूर्वोक्त संविदा से संबद्ध किसी नियोजित कर्मचारी की तरफ नियोक्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व से भिन्न किसी दायित्व के लिए किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन जमा रकम कुर्की के अधीन नहीं होगी।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

65. केंद्रीय सरकार किसी राज्य में इस संहिता के निष्पादन को करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी तथा राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

66. इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई बात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 या उसके तद्धीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। व्यावृत्ति।

2005 का 42
1948 का 46

67. (1) समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस सहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन मजदूरी परिकलित करने की रीति;

(ख) कठिन कार्य को धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अधीन कर्मकारों के कतिपय प्रवर्ग के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर के अतिरिक्त इसे ध्यान में लिया जाना;

(ग) धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन सन्नियम;

(घ) वे मामले और परिस्थितियां, जिनमें अपेक्षित घंटों की संख्या से कम कालावधि के लिए नियोजित कोई कर्मचारी धारा 10 के अधीन सामान्य पूर्ण कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह सीमा और शर्तें कर्मचारियों के कतिपय वर्गों के संबंध में लागू होंगी;

(च) धारा 14 में यथानिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के लिए दीर्घ मजदूरी अवधि;

(छ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपखंड (ii) के अधीन श्रम के कल्याण के लिए गठित किसी निधि से ऋणों की कटौती करने की रीति;

(ज) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन अधिक रकम वसूल करने की रीति;

(झ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला प्राधिकारी;

(ञ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कृत्यों और लोपों के प्रदर्शन की रीति;

(ट) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया;

(ठ) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन सभी जुर्मानों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्ररूप;

(ड) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां करने की प्रक्रिया;

(ढ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन नुकसान या हानि के लिए कटौतियां करने की प्रक्रिया;

(ण) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन सभी कटौतियों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के लिए रजिस्टर का प्ररूप;

(त) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन प्रारंभ किए गए रोजगार के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली की शर्तें;

(थ) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन किसी कर्मचारी को पहले से ही अर्जित नहीं की गई मजदूरी के अग्रिमों की वसूली की शर्तें;

(द) धारा 24 के अधीन ऋणों की वसूली के लिए कटौतियां और उन पर संदेय ब्याज की दर;

(ध) धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने की रीति;

(न) धारा 42 की उपधारा (11) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, के सदस्यों की पदावधि;

(प) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन विभिन्न असंवितरित शोध्यों को ऐसे प्राधिकारी के पास जमा करने का प्राधिकार और रीति;

(फ) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन अनेक कर्मचारियों के संबंध में एकल आवेदन का प्ररूप;

(ब) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप;

(भ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा रजिस्टर को रखने की रीति;

(म) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन मजदूरी पर्चियां जारी करने का प्ररूप और उसकी रीति;

(य) धारा 51 की उपधारा (5) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां;

(यक) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अधिरोपण की रीति;

(यख) धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति;

(यग) कोई अन्य विषय, जिसकी इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षा की जाए या जो विहित किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए निम्नलिखित नियम बनाएगी,—

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निम्नतम मजदूरी नियत करने की रीति;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार से परामर्श करने की रीति;

(ग) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (i) के अधीन छठे लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने की रीति;

(घ) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (ii) के अधीन सातवें लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने की रीति;

(ङ) धारा 32 की खंड (क) और खंड (ख) के अधीन सकल लाभ संगणित करने की रीति;

(च) धारा 34 के खंड (ग) के अधीन नियोजक की बाबत ऐसी और राशियां;

(छ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक और जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है, आगे रखे जाने के लिए अग्रनीत किए जाने वाली रकम आबंटनीय अधिशेष के आधिक्य को उपयोग करने की रीति;

(ज) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे वर्ष तक और जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किए जाने वाली न्यूनतम रकम या कमी को उपयोग करने की रीति; और

(झ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन जांच करवाने की रीति।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

68. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन किया गया ऐसा कोई आदेश, इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1936 का 4
1948 का 11
1965 का 21
1976 का 25

69. (1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं। निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उनके अधीन कोई अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश या किसी प्रयोजन के लिए ऐसी अधिनियमितियों के किसी उपबंध में उपबंधित मजदूरी की कोई रकम भी है, को ऐसे प्रयोजन के लिए इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई या उपबंधित समझा जाएगा और वह उस सीमा तक जिस तक वह इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार की उस प्रभाव की अधिसूचना द्वारा निरसित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी।

1897 का 10 (3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसी अधिनियमितियों के निरसन को लागू होगी।